

ज्ञापांक-1895/तक0
अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।
दिनांक-24वीं जुलाई 2019

सेवा में

एम0 जावेद अखतर,
जाकिर नगर, मंजार कजीम चौक,
ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर।

विषय:- मौजा-1320, प्लॉट नं0-3114, खाता नं0-46, वार्ड नं0-w08, थाना-16411, जाकिर नगर, मंजार कजीम चौक, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो जमशेदपुर में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-121 दिनांक-23.07.19 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं:-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पचास हजार लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
2. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में एक ऐसे वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित हो।
4. प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
5. पूरे भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. पूरे भवन में Addressable Type Fire Alarm & Detection System लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. भवन के चारों तरफ 150 MM डायामेटर वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उसके भाग पर एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
8. 900 LPM क्षमता का टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 2280 Lpm क्षमता का फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. पम्पिंग सिस्टम मानक के अनुरूप पॉजीटिव सक्शन वाला रखा जाय।
13. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
14. सभी लॉबियों के कम से कम एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

16. प्रस्तावित भवन के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास एक फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराये जाने की व्यवस्था की जाय। फायर स्केप रूट वाली सभी सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय। सभी तलों के स्टेयरकेश लॉबी को कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
17. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज भवन के सभी व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
18. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
19. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 अथवा 06 के0जी0 क्षमता वाले डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
21. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
22. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व चेक लिस्ट के साथ एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
23. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
24. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.6 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(श्री सुधीर कुमार वर्मा),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।